



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128058

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 20795/2026

जितेन्द्र यादवआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, फूल चन्द्र सरोज

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, पुलिस थाना- कटघर, जिला- मोरादाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 65/2026, अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 352, 351(3), 308(5) भारतीय न्याय संहिता में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और नामजद अभियुक्त अंशू को इस न्यायालय की समकक्षी पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, लोकेश यादव उर्फ अंशू को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 13820/2026 में पारित आदेश दिनांक 11.5.2026 के द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के पैरा संख्या 23 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है और वह 22.3.2026 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, लोकेश यादव उर्फ अंशू को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, लोकेश यादव उर्फ अंशू को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक 22.3.2026 से जेल में सड़ रहा है, मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक- जितेन्द्र यादव जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, उसे संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के समय साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
 - (ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।
 - (iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।
 - (iv) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"